2007:CGHC:100668

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1840/2000

देवानंद दुबे

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1679/2000

दासो उर्फ प्रमेश दुबे

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थिति:

अपीलकर्ताओं की ओर से- श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री एन.के. मेहता, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से- श्री यू.एन.एस. देव तथा श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

आपत्तिकर्ता (मृतक की पत्नी) की ओर से- डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री ए.के. यादव, अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक- 22.02.2007)

श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. चूंकि ये दोनों दाण्डिक अपीलें, सत्र न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 359/1998 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 21.6.2000 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनका निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. दाण्डिक अपील क्रमांक 1840/2000, अपीलकर्ता अभियुक्त देवानंद दुबे की ओर से दायर की गई है, जबकि दाण्डिक अपील क्रमांक 1679/2000, अपीलकर्ताओं अभियुक्त दासो @ प्रमेश और अभियुक्त दयानंद दुबे की ओर से दायर की गई है। दासो @ प्रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 450 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा रु. 1000/- के जुर्माने, जुर्माना न अदा करने पर 3 (तीन) महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास, एवं 7 (सात) वर्ष के कठोर कारावास तथा रु. 1000/- के जुर्माने, जुर्माना न अदा करने पर 3 (तीन) महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है । उसके दण्डादेश साथ-साथ चलने को निर्देशित किया गया है । वहीं, दयानंद दुबे और देवानंद दुबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा रु. 1000/- के जुर्माने, जुर्माना न अदा करने पर 3 (तीन) महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

3. अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि मृतक सुरेन्द्र कुमार शर्मा, झूमकलाल दुबे के किरायेदार थे और बिलासपुर के सरकंडा स्थित एक दुकान पर किरायेदारी के रूप में क़ब्ज़ा रखे हुए थे। मकान मालिक झूमकलाल दुबे उक्त दुकान को खाली कराना चाहते थे, जिसके लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया था, तत्पश्चात् उच्च न्यायालय में अपील की गई, और यह प्रकरण अंततः किरायेदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (अब मृतक) के पक्ष में न्याय निर्णीत हुआ। इस आधार पर दोनों पक्षों के मध्य संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे । अभियुक्तगण मकान मालिक झूमकलाल के संबंधी हैं। दिनांक 17.04.1998 को अपराह्न लगभग 4:45 बजे, सभी अपीलार्थी अभियुक्त, मृतक सुरेन्द्र कुमार शर्मा की किरायेदारी वाली दुकान में जबरन घुस आए, अपीलार्थी अभियुक्त दासो उर्फ प्रमेंश दुबे ने मृतक पर चाकू से प्रहार कर उसके महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें पहुंचाई। अन्य दो अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने दासो को मृतक की हत्या कारित करने के लिए उकसाया था। अभियोजन का आगे का कथन यह है कि घटना के समय मृतक का नौकर अरुण दुबे (अ.सा.-01), मृतक की पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा तथा श्रीमती मीना शर्मा (अ.सा.-04) ने घटना को अपनी आंखों से देखा। उक्त घटना की सूचना दिनांक 17.04.1998 को पुलिस थाना सरकंडा को टेलीफोन के माध्यम से दी गई, जिसे रोजनामचा में सनहा क्र. 999 (प्रदर्श पी-20) के तहत लेखबद्ध किया गया। सूचना प्राप्त होने पर नगर निरीक्षक घटनास्थल पर जाने के लिए रवाना हुए। मृतक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां नगर निरीक्षक ने मृतक से घटना के संबंध में पूछताछ की और उसकी देहाती नालिशी (प्रदर्श पी -22) लेखबद्ध की। यह देहाती नालिशी स्वयं मृतक सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज/उल्लेखित की गई। पीड़ित की चिकित्सकीय जांच हेतु आवश्यक चिकित्सकीय जांच मांग-प्रपत्र तैयार किया गया और चिकित्सकीय जांच उपरांत चोट का चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जो प्रदर्श पी-10 है । साक्षी अरुण कुमार दुबे का द.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन कथन भी दर्ज/उल्लेखित किया गया। मृतक के रक्तरंजित वस्त्र, जैसे फुल पैंट, शर्ट, अंडरवियर आदि को ज़ब्त किया गया, जो जप्ती पत्रक, प्रदर्श पी-3 में दर्ज/उल्लेखित है। मृतक के नौकर अरुण कुमार दुबे (अ.सा.-01) को भी चिकित्सकीय जांच हेतु आवश्यक मांग-प्रपत्र, प्रदर्श पी-24 तैयार कर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जो प्रदर्श पी-19 है । दुकान में रखी कुर्सी से रक्त के नमूने लिए गए, जो प्रदर्श पी-25 में दर्ज/उल्लेखित है। घटनास्थल का मानचित्र जो प्रदर्श पी-26 है, तैयार किया गया। अभियुक्त दासो उर्फ प्रमेंश को दिनांक 6.5.1998 को अभिरक्षा में लिया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन, अपराध में प्रयुक्त हथियार/आयुध के संबंध में, अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किया गया, जो प्रदर्श पी-04 है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसके अनुसार उसके निशानदेही पर खुखरी (अपराध में प्रयुक्त हथियार/आयुध) की बरामदगी की गई, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 है । अभियुक्त दासो के घर से उसके वस्त्र भी ज़ब्त किए गए, जो जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 में दर्ज/उल्लेखित है । उपयुक्त उपचार हेतु मृतक को बिलासपुर के शासकीय अस्पताल से भिलाई के अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 05.05.1998 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में भिलाई के अस्पताल के संबंधित डॉक्टर द्वारा पुलिस थाना, भिलाईनगर को मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-15) भेजी गई, जिस पर पुलिस थाना भिलाईनगर द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया । उसी दिन दिनांक 05.05.1998 को सम्बंधित पुलिस अधिकारी द्वारा पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-12) दी गई और मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी-13) तैयार किया गया एवं मृतक के मृत शरीर/शव को शव परीक्षण हेतु प्रपत्र (प्रदर्श पी-16) तैयार कर भेजा गया । शव का शव-परीक्षण डॉ पी के अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसका प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-21) तैयार किया गया । भिलाई अस्पताल की बेड हेड टिकट (प्रदर्श पी-02) को ज़ब्त कर, जब्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-17) तैयार किया गया और मृतक की मृत्यु की प्रतिवेदन दिनांक 27.05.1998 को पुलिस थाना सरकंडा, बिलासपुर में दर्ज/उल्लेखित की गई, जो प्रदर्श पी-32 है । जब्त सामग्री को परीक्षण हेतु भेजा गया, जो प्रदर्श पी-31 है तथा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से प्राप्त प्रतिवेदन प्रदर्श पी-34 है । साक्षियों के कथन दर्ज/उल्लेखित किए गए और अन्वेषण उपरांत अभियोगपत्र, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने यह प्रकरण सत्र न्यायालय, बिलासपुर को विचारण हेतु अग्रेषित किया गया। तत्पश्चात् यह मामला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्रकरण के विचारण हेतु स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस प्रकरण का विचारण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को सिद्ध करने हेतु कुल 24 साक्षियों का परीक्षण किया। इसके उपरांत, अभियुक्तगण के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का खंडन करते हुए आरोपों से इंकार किया। तत्पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त अपीलार्थियों को उपरोक्तानुसार उपर्युक्त वर्णित धाराओं के अधीन दोषसिद्ध किया।

5. अपीलार्थियों के पक्ष में प्रस्तुत हुए विद्वान् अधिवक्ता ने मृतक की हत्या विवादित नहीं होना स्वीकार किया है। साथ ही, मृतक की चिकित्स्कीय जांच प्रतिवेदन, जो दिनांक 17.04.1998 को डॉ. जी.पी. नायडू (अ.सा.-10) द्वारा तैयार की गई थी, यह स्पष्ट करती है कि उसी दिन सायं लगभग 5:30 बजे अस्पताल में पीड़ित की जांच करने पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

(i) छाती के दाएं भाग में 11वीं एवं 12वीं पसली के समीप कटने से प्राप्त चोट

(ii) ललाट (माथे) पर 3" **x** 1½" आकार की कटने से प्राप्त चोट

(iii) बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर 4" **x** ½" आकार की कटने से प्राप्त चोट

(iv) सिर के पिछले हिस्से अर्थात ऑक्सिपिटल क्षेत्र पर कटने से प्राप्त चोट

(v) दाहिनी गाल पर 3" **x** ½" आकार की कटने से प्राप्त चोट

चिकित्सक ने यह राय दी कि उक्त सभी चोटें किसी धारदार हथियार से की गई थीं। चिकित्सक द्वारा उक्त प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 है। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. राजीव रतन तिवारी (अ.सा.-16) ने भी यह बयान दिया कि उन्हें मृतक पर निम्नलिखित चोटें दिखीं, जिनका उल्लेख उनके कनिष्ठ डॉ. के.के. साहू द्वारा बेड हेड टिकट (प्रदर्श पी-18) में किया गया था:

(i) दाहिनी गाल पर 3" **x** ½" आकार की कटने से प्राप्त चोट

(ii) पेट के अगले हिस्से पर 2" **x** ½" आकार की कटने से प्राप्त चोट

(iii) छाती के बाएं निचले भाग में 2½" **x** 1" आकार की भेदने वाली चोट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**iv**) बाएं हाथ पर 4**" x ½"** आकार की कटने से प्राप्त चोट

(**v**) सिर के पिछले हिस्से पर छोटी आकार की कटने से प्राप्त चोट

(**vi**) सिर के पिछले हिस्से पर एक अन्य कटने से प्राप्त चोट

उनके (डॉ. तिवारी) के अनुसार, घायल की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, इस कारण उन्होंने तत्काल रक्त चढ़ाने की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी अभिमत दिया कि ये सभी चोटें किसी नुकीले और धारदार हथियार से की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मृतक का शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रदर्श पी-21, जो डॉ. पी.के. अग्रवाल (अ.सा.-22) द्वारा दिनांक 06.05.1998 को तैयार किया गया, यह दर्शाता है कि मृत्यु का कारण सेप्टिसेमिक शॉक था, जो उक्त परीक्षण के 24 घंटे के भीतर हुआ। उक्त प्रतिवेदन में भी शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने 6 बाहरी चोटों की उपस्थिति दर्ज/उल्लेखित की है, साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मृतक के सिर की पिछली (ऑक्सिपिटल), अगली (फ्रंटल) एवं दोनों पार्श्विक (पेराइटल) अस्थि भंग (अस्थियाँ टूटी हुई) थीं। उन्होंने यह भी पाया कि मृतक की बड़ी आँत को ठीक करने के लिए इलाज किया गया था तथा बाएं पार्श्व (पसली) के नीचे मवाद की उपस्थिति थी। उपरोक्त सभी चिकित्सीय प्रतिवेदन, इस तथ्य की सूचक हैं कि मृतक की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि हत्यात्मक प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) जहां तक अभियुक्त अपीलार्थियों की घटना में संलिप्तता का प्रश्न है, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी दयानंद एवं देवानंद के विरुद्ध अभियोजन का समग्र आरोप यही है कि वे मुख्य अभियुक्त दासो @ प्रमेंश के साथ घटनास्थल पर आए थे तथा उन्होंने दासो को मृतक की हत्या करने के लिए उकसाया था, और इस प्रकार उन्होंने अपराध कारित करने के सामान्य आशय में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप दासो @ प्रमेंश ने मृतक की हत्या कर दी। किन्तु, इन दोनों अपीलार्थियों द्वारा की गई कथित उकसावे से संबंधित साक्ष्य कमजोर और अविश्वसनीय है, अतः इनकी उपस्थिति तथा उकसावे को संदेहास्पद मानते हुए इन्हें संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जाना उचित होगा। जहां तक अपीलार्थी दासो @ प्रमेंश का संबंध है, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उसे पहले ही परिवीक्षा पर रिहा किया जा

चुका है, अतः उसके मामले की पृथक रूप से समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

7. भले ही आप जो कहे वह सच हो, तथापि, जबकि हम अपीलार्थी दयानंद दुबे एवं देवानंद दुबे के प्रकरण की न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यह भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि अपीलार्थी दासो @ प्रमेंश के प्रकरण की भी सम्यक् रूप से समीक्षा की जाए।

8. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान् अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा उनके सहायक के रूप में उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता जो मृतक की पत्नी (आपत्तिकर्ता) की ओर से उपस्थित हुए है, सभी को सुन लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किये जाने का आधार, प्रत्यक्षदर्शी अरुण कुमार दुबे (अ.सा.-01), श्रीमती पुष्पा शर्मा (अ.सा.-02), श्रीमती मीना शर्मा (अ.सा.-04), गोपाल सिंह (अ.सा.-07) तथा गोपाल प्रसाद साहू (अ.सा.-11) साक्षियों के साक्ष्य है, जिनके साक्ष्य को चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियुक्त दासो @ प्रमेंश के निशानदेही पर बरामद एवं जब्त की गई विभिन्न वस्तुओं, की पुष्टि से समर्थन प्राप्त है।

10. अरुण कुमार दुबे (अ.सा.-01) ने अपने कथन में बताया कि घटना के दिन वह मृतक सुरेन्द्र शर्मा की दुकान में उपस्थित था, किन्तु उस समय सुरेन्द्र शर्मा दुकान में नहीं थे। उसी समय, लगभग दोपहर 3 बजे, एक लंबा कद का व्यक्ति दुकान में आया और सुरेन्द्र शर्मा को बुलाया। जब सुरेन्द्र शर्मा वहाँ आए, तो उस व्यक्ति ने उनसे दुकान के संबंध में बातचीत की। इसके बाद वह लंबा व्यक्ति चला गया और वह स्वयं (साक्षी) तथा मृतक सुरेन्द्र शर्मा दोनों दुकान में बैठे हुए थे। कुछ समय पश्चात् वही व्यक्ति पुनः दुकान में आया, वह उसके हाथ में कोई उपकरण रखे हुए था और उसने उसी उपकरण से सुरेन्द्र शर्मा पर हमला किया। जब साक्षी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उसे भी चोट लगी। यह सब देखकर उसने सुरेन्द्र शर्मा की पत्नी और उनकी मामी को बुलाया। इसके पश्चात् वहाँ लोग एकत्रित हो गए और वहाँ उपस्थित लोग कहने लगे कि दासो ने हमला किया है। साक्षी ने आगे यह कहा कि चूंकि वह सुरेन्द्र शर्मा की पत्नी व मामी को बुलाने

गया था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि पहली चोट के बाद मृतक को अन्य चोटें कहाँ-कहाँ लगीं। इस कथन के आधार पर अभियोजन ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और राज्य की ओर से विस्तृत प्रति-परीक्षण किया गया, किन्तु इस साक्षी से अभियुक्त दासो उर्फ प्रमेंश की पहचान अथवा अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति के संबंध में कोई ठोस तथ्य स्थापित नहीं किया जा सका। विचारण न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि इस साक्षी के कथन से केवल इतना ही स्थापित होता है कि अन्य दो साक्षी — श्रीमती पुष्पा शर्मा (अ.सा.-02) एवं श्रीमती मीना शर्मा (अ.सा.-04) — घटनास्थल पर उपस्थित थीं, और इससे अधिक कुछ भी नहीं, जो कि हमें भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है। जहाँ तक अपीलार्थी दयानंद एवं देवानंद का संबंध है, इस साक्षी ने राज्य द्वारा की गई प्रति-परीक्षण के पैरा 6 में कहा है कि उसने अपने पुलिस कथन में दासो का नाम बताया था, किंतु यह सुझाव उसने अस्वीकार कर दिया कि उसने उसी समय देवानंद और दयानंद के नाम भी पुलिस को बताए थे और यह भी कि ये दोनों अभियुक्त दुकान के दरवाज़े पर खड़े थे तथा दरवाज़े पर खड़े होने के दौरान अन्य लोगों को दुकान में प्रवेश करने से रोक रहे थे। हालाँकि, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का इस हद तक समर्थन किया है कि जब मृतक सुरेन्द्र शर्मा पर हमला किया जा रहा था, उस समय मृतक की पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा (अ.सा.-02) तथा उनकी मामी श्रीमती मीना शर्मा (अ.सा.-04) ने उक्त घटना को प्रत्यक्ष देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्रीमती पुष्पा शर्मा (अ.सा.-02) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह अपीलार्थियों को जानती हैं क्योंकि उनकी दुकान को उन्होंने किराए पर लिया था। उनके पति संपत्ति के खरीद-बिक्री के व्यवसाय से जुड़े थे और उनका निवास उक्त दुकान के बिल्कुल बगल में स्थित है। अरुण दुबे उस दुकान में नौकर था। पिछले 10 वर्षों से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें वे उच्च न्यायालय से प्रकरण में जीत चुके थे। उन्होंने यह भी कथन किया है कि इस घटना से पूर्व एक बार अभियुक्त दयानंद और देवानंद ने दुकान का ताला तोड़ दिया था, और जिससे विवाद की शुरुआत हुई थी। अभियुक्त दयानंद और देवानंद, अभियुक्त दासो उर्फ प्रमेंश के चाचा हैं। अपने कथन के पैरा 4 में उन्होंने कथन किया है कि दिनांक 17.04.1998 को अपराह्न लगभग 3:45 से 4:00

बजे, उनके पति सुरेन्द्र शर्मा एवं उनके देवर बृजेश शर्मा ड्राइंग रूम में बैठे थे। उसी समय अरुण दुबे (अ.सा.-01) आया और उनके पति से कहा कि दासो दुकान पर आया है और उन्हें बुला रहा है। इस पर वे स्वयं, उनके पति और देवर बृजेश दुकान की ओर गए, जहाँ उन्होंने दासो को देखा। इसके पश्चात् दासो और सुरेन्द्र शर्मा के बीच दुकान को लेकर बातचीत हुई। कुछ देर बातचीत के बाद दासो के द्वारा सुरेन्द्र शर्मा से कहा गया कि यह दुकान उसके दादा की है और यदि वह दुकान खाली नहीं करेगा तो वह उसकी हत्या कर देगा। इस पर सुरेन्द्र शर्मा ने उत्तर दिया कि वह किरायेदार है, कोर्ट से प्रकरण में जीत चुका है और नियमित रूप से किराया भी दे रहा है। ऐसी धमकी देने के बाद दासो वहाँ से चला गया और सभी लोग वापस घर लौट आए, तथा बृजेश शर्मा अपने घर चले गए। कुछ ही मिनट बाद मृतक के मामा देवेंद्र शर्मा और मामी मीना शर्मा (अ.सा.-04) उनके घर आए। दो मिनट पश्चात् देवेंद्र शर्मा चले गए और मामी मीना शर्मा घर में ही बैठी थीं। इसके बाद सुरेन्द्र शर्मा पुनः दुकान पर चले गए। लगभग 10 मिनट बाद नौकर अरुण दुबे (अ.सा.-01) यह कहते हुए उन्हें बुलाया कि दासो दुबे, सुरेन्द्र शर्मा (मृतक) को मार रहा है। यह सुनकर वे स्वयं और उनकी मामी मीना शर्मा (अ.सा.-04) दौड़ते हुए दुकान की ओर गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि दासो दुबे उनके पति पर हमला कर रहा था और अन्य दो अपीलार्थी दयानंद और देवानंद दुकान के दरवाजे के पास खड़े थे। दासो के हाथ में लंबा चाकू था। साक्षी ने कथन किया है कि दासो हमला कर रहा था और यह कथन भी किया है कि उसी समय दयानंद और देवानंद उसे और मारने के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने यह भी कथन किया है कि इन दोनों अभियुक्तों ने उन्हें दुकान में प्रवेश करने से रोका था । साक्षी ने आगे कथन किया है कि उन्होंने दासो से विनती की कि वह उनके पति को छोड़ दे क्योंकि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, और वह दुकान भी खाली कर देंगी तथा जो भी पैसा चाहिए वह दे देंगी। उन्होंने बताया कि दासो ने उनके पति पर कई बार हमला किया और हमले के बाद सभी अभियुक्त घटना स्थल से भाग गए। इसके बाद घायल सुरेन्द्र शर्मा को अस्पताल ले जाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अ.सा.-04, मीना शर्मा के द्वारा भी इसी प्रकार का साक्ष्य दिया गया है। उन्होंने अ.सा.-02 श्रीमती पुष्पा शर्मा के कथन की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि अ.सा.-01

अरुण दुबे द्वारा बुलाए जाने पर वह भी अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा के साथ दुकान पर गई थीं और उन्होंने देखा कि अभियुक्त दासो के हाथ में एक लंबा चाकू था और वह सुरेन्द्र शर्मा पर बार-बार प्रहार कर रहा था। उन्होंने यह भी कथन किया है कि उस समय अपीलार्थी दयानंद एवं देवानंद दुकान के दरवाजे पर खड़े थे, वे उन्हें (साक्षियों को) दुकान के भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे और मृतक के ऊपर और अधिक प्रहार करने के लिए दासो को उकसा रहे थे।

13. अ.सा.-07, गोपाल सिंह एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने कथन किया है कि वे अभियुक्तों या मृतक को नहीं जानते हैं, किंतु जिस दिन घटना हुई, उस दिन जब वे अपने घर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान के सामने भीड़ देखी। इस पर वे वहाँ गए और देखा कि एक गठीला शरीर वाला व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति पर भुजाली जैसे हथियार से हमला कर रहा था। दुकान के दरवाजे पर दो व्यक्ति खड़े थे जो भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यह भी कथन किया कि जो दो व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे, वे तीसरे व्यक्ति को उकसा रहे थे और कह रहे थे — "दासो, सुरेन्द्र शर्मा को मार डाल" इसके अतिरिक्त, उन्होंने कथन किया कि इन दो व्यक्तियों ने उस तीसरे व्यक्ति से, जो दुकान के भीतर से बाहर आया था, पूछा कि "क्या तूने (दासो) उसे मार डाला?" और यदि वह नहीं मरा है, तो "जा और उसे मार दे।" साक्षी ने आगे कथन किया कि वह गठीला व्यक्ति पुनः दुकान के अंदर गया और किसी नुकीले हथियार से मृतक पर वार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अन्य साक्षी गोपाल प्रसाद साहू (अ.सा.-11) ने भी अ.सा.-07 गोपाल सिंह के समान ही साक्ष्य दिया है। उन्होंने यह अतिरिक्त कथन किया कि दासो ने सुरेन्द्र शर्मा पर 12 फीट लंबे हथियार से हमला किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कथन किया कि हमला करने के बाद दासो घटना स्थल से ही दोपहिया वाहन हीरो पुक से भाग गया।

15. यदि हम इन साक्षियों के साक्ष्यों को देखें, तो प्रतीत होता है कि अ.सा.-07, गोपाल सिंह और अ.सा.-11, गोपाल प्रसाद साहू के साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। इन्होंने अपीलार्थियों के विरुद्ध एक नई कहानी विकसित की है। उन्होंने अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा

और अ.सा.-04, मीना शर्मा के कथनों का समर्थन नहीं किया। इन साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास न करने का एक और कारण यह है कि अ.सा.-07, गोपाल सिंह का पुलिस कथन लगभग एक माह बाद, यानि 21 या 22 मई 1998 को दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, अ.सा.-11 गोपाल प्रसाद साहू का पुलिस कथन 2 जून 1998 को दर्ज किया गया। इतने विलंब से लिए गए ये साक्ष्य, जो अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह नई दिशा देते हैं और पूरी तरह नया संस्करण प्रस्तुत करते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन साक्षियों के पास कोई कारण नहीं था कि वे इस कहानी को पहले न बताएं और इतनी लंबी अवधि तक चुप्पी साधे रहें। इन कारणों से हम इन साक्षियों के साक्ष्य पर अपना विश्वास स्थापित नहीं करते।

16. जहां तक अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा और अ.सा.-04, मीना शर्मा के साक्ष्य का प्रश्न है, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इन दोनों साक्षियों के उक्त कथन, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी दयानंद और देवानंद को, मुख्य अभियुक्त को मृतक सुरेंद्र शर्मा पर प्रहार करने के लिए उकसाते हुए देखा है, पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि उनका यह साक्ष्य अतिशयोक्ति और उनके पुलिस को किये गए कथनो (प्रदर्श डी-1 एवं डी-3) में इस कथन का लोप (छिपाई गई बातें) हैं। इतना ही नहीं, उक्त अपीलार्थियों द्वारा उकसावे की बात, मृतक द्वारा उसी दिन दी गई सूचना पर नगर निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-22) में भी नहीं है । इस संबंध में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के **जैनुल हक विरुद्ध बिहार राज्य, [AIR 1974 SC पृष्ठ 45]** के मामले में निर्णय का अवलंब लिया है। उक्त निर्णय के पैरा 8 के अनुसार, उकसावे का साक्ष्य स्वभावतः एक कमजोर साक्ष्य होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि असली हमलावर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी अभियुक्त बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा हमलावर को पीड़ित पर प्रहार करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाता है। जब तक इस प्रकार का साक्ष्य स्पष्ट, निश्चयात्मक और विश्वसनीय न हो, तब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर वास्तविक हमलावर को उकसाने का अभियोग लगाया गया है, उकसावे के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विचारण के दौरान, उस हिस्से के संबंध में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, जिसे अपीलार्थी द्वारा निभाए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गए हिस्से के रूप में दर्शाया गया था, विरोधाभासी और आश्वस्त करने वाला नहीं था और इसी आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त कर उन्हें दोषमुक्त किया गया।

17. इस मामले में भी, जहाँ तक उकसावे से संबंधित साक्ष्य का प्रश्न है, स्वीकार्य है कि यह दो साक्षियों, अर्थात् अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा एवं अ.सा.-04, मीना शर्मा, द्वारा की गई अतिशयोक्ति है। यदि हम उनके द.प्र.स. की धारा 161 के अधीन दर्ज/उल्लेखित कथनों, जिन्हे प्रदर्श डी-1 एवं डी-3 के रूप में चिन्हित किया गया है, को देखें, तो प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल इतना ही कथन किया है कि अपीलार्थी दयानंद एवं देवानंद घटना स्थल पर उपस्थित थे, और मृतक पर मुख्य अभियुक्त दासो ने हमला किया था तथा ये दोनों अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त दासो के साथ दुकान के परिसर में प्रवेश किये थे। जैसा कि ऊपर बताया गया, उकसावे के तथ्य, देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-22) में भी नहीं हैं, जिसे नगर निरीक्षक ने मृतक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दर्ज/उल्लेखित किया था। यह देहाती नालिशी स्वयं मृतक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस देहाती नालिशी में केवल यह उल्लेख है कि ये दोनों अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त दासो के साथ दुकान में गए थे। इसलिए, मृतक पर हमला करने के लिए उकसावे की जो कहानी अ.सा.-02 और अ.सा.-04 द्वारा विकसित की गई है, वह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति प्रतीत होती है और हमारा यह अभिमत है कि इन दोनों अपीलार्थियों दयानंद और देवानंद द्वारा मुख्य अभियुक्त को मृतक पर हमला करने के लिए उकसाने वाले कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या इन अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है। धारा 34, दाण्डिक कृत्य में सामान्य आशय से संयुक्त भागीदारी पर दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और स्वयं में कोई मूल या स्वतंत्र अपराध नहीं बनाती। इस धारा की विशिष्ट विशेषता है कि इसमें कृत्य में सहभागिता का तत्व होता है। जब कई व्यक्ति मिलकर कोई दाण्डिक कृत्य करते हैं, तो उनमें से किसी व्यक्ति की उस अपराध के लिए उत्पन्न दायित्व, जो ऐसे संयुक्त दाण्डिक कृत्य के दौरान किया गया हो, धारा 34 के अधीन उस स्थिति में बनती है, यदि वह दाण्डिक कृत्य उन सभी लोगों की सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ होता

है, इसलिए ऐसा आशय केवल उन परिस्थितियों से अनुमानित की जा सकती है जो मामले के सिद्ध तथ्यों और प्रमाणित परिस्थितियों से प्रकट होती हैं। सामान्य आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होता है कि सभी अभियुक्तों के बीच ऐसे अपराध को, जिसके लिए सभी अभियुक्त धारा 34 के अधीन अभियोजित किये गए हो, करने की योजना या विचारो की सहमति थी, जो पूर्व नियोजित हो सकती है या अचानक उत्पन्न हुई हो, लेकिन यह आवश्यक है कि यह अपराध के होने से पूर्व मौजूद हो। इस धारा का वास्तविक आशय यह है कि यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी कृत्य को जानबूझकर संयुक्त रूप से करते हैं, तो कानून की दृष्टि में ऐसा ही माना जाता है जैसे प्रत्येक ने वह कृत्य स्वयं अकेले किया हो। अपराध में सहभागी व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय का होना इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं कि सभी अभियुक्तों को जिन्हे किसी आपराधिक कृत्य के लिए संयुक्त रूप से अभियोजित किया गया हो, के कृत्य एक समान या बिल्कुल समान हों। इस धारा के प्रावधानों को अमल में लाने या लागू करने के क्रम में, कृत्य अलग-अलग प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन सभी एक तथा समान सामान्य आशय से प्रेरित होने चाहिए। **इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनिल शर्मा एवं अन्य विरुद्ध झारखंड राज्य (2004) 5 SCC 679 को देखें।** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 1870 में संशोधन के द्वारा, धारा 34 में शब्दों " आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा " के बाद एवं शब्दों " तब ऐसे व्यक्तियों में से " से पहले/पूर्व " अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में " शब्दों को जोड़ा गया, ताकि धारा 34 के उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। यह धारा " सब के सामान्य आशय " या " और आशय सबके लिए सामान्य " नहीं कहती। धारा 34 के अधीन दायित्व का सार यह है कि अभियुक्तों के बीच एक सामान्य आशय हो, जो उन्हें ऐसे सामान्य आशय को अग्रसर करने में प्रेरित/ उत्तेजित कर उन्हें दाण्डिक कृत्य करने की ओर ले जाती हो। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो विधि के अनुसार इसका अर्थ यह होता है कि वह अभियुक्त उसी प्रकार से ऐसे कृत्य, जिससे मृतक की हत्या हुई है, के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दायित्व के अधीन है, जैसे उसने वह कृत्य अकेले किया हो। यह प्रावधान ऐसे मामलों के लिए बनाया गया है जहां सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किये गए कृत्य में से, सभी सदस्यों के व्यक्तिगत कृत्यों को अलग-अलग पहचान पाना या यह साबित/ सिद्ध करना कठिन हो कि उनमे से प्रत्येक ने ऐसे कृत्य को करने में क्या भागीदारी निभाई।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **दानी सिंह विरुद्ध बिहार राज्य, 2005 SCC (क्रि.) 127 (पैरा 20)** के मामले में यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य आशय स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अभियुक्त की आशय अन्य अभियुक्तों को ज्ञात हो और वे सभी उस आशय को साझा करते हों। निःसंदेह, किसी एक व्यक्ति की आशय सिद्ध करना भी कठिन होता है और इसलिए, एक समूह की सामान्य आशय सिद्ध करना और भी अधिक कठिन है। फिर भी, चाहे यह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को ऐसे तथ्य, परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण के साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं जिनसे उनकी सामान्य आशय सुरक्षित रूप से अनुमानित की जा सके। अधिकतर मामलों में यह आशय उस कृत्य, आचरण या हस्तगत प्रकरण की अन्य सुसंगत परिस्थितियों से अनुमानित की जाती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अपराध करने के लिए अभियुक्तों की सामान्य आशय थी या नहीं थी, जिसके लिए उनकी दोषसिद्धि की जा सकती है, का निर्णय करते समय सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक मामले को उसमें शामिल तथ्यों के आधार पर ही निर्णय दिया जाना चाहिए। यह तय करना कि कोई कृत्य सामान्य आशय के तहत किया गया है या नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है, न कि विधि का प्रश्न।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अतः यह स्पष्ट है कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति बिना कुछ और किये, घटना स्थल पर या उसके आस-पास उपस्थित था, न ही उसके पास कोई हथियार/ आयुध था, और न ही वह अन्य हमलावरों के साथ आया-गया, ऐसे व्यक्ति की अन्य अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए भा.द.स. की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

21. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **ओडिशा राज्य विरुद्ध अर्जुन दास अग्रवाल एवं अन्य, AIR 1999 S.C. 3229** का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उक्त मामले में, परिस्थितियों से, अभियुक्त का सामान्य उद्देश्य, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह समझा गया कि अभियुक्त अन्य साथियों के साथ घटना स्थल पर गया था, जहाँ सह-अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से प्रहार किए। साथ ही, अभियुक्त ने मृतक की पत्नी को अपने पति को बचाने से रोका और उसे दूर धकेला जिसके कारण वह गिर गयी। प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने मृतक की दाढ़ी पकड़ रखी थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया क्योंकि उसने सामान्य उद्देश्य, जो मृतक की मृत्यु कारित करना था, की ओर अग्रसर होते हुए मृतक को जानलेवा चोट पहुंचाने वाले दाण्डिक कृत्य में सक्रिय भागीदारी की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस मामले में, जहाँ तक अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा (मृतक की पत्नी) और अ.सा.-04, मीना शर्मा (मृतक की मामी) के साक्ष्यों का संबंध है, यह बात सामने आती है कि जब वे घटना स्थल पर पहुँचीं तो इन अपीलार्थियों द्वारा उन्हें दुकान के अंदर प्रवेश करने से रोका गया। लेकिन इन दोनों साक्षियों के पुलिस को दिए कथनों (प्रदर्श डी-1 एवं डी-3) में यह तथ्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी का भी यह तर्क नहीं है कि मृतक तुरंत बेहोश हो गया और वह घटना का साक्षी नहीं बन सका। इस मामले में, मृतक स्वयं घटना का साक्षी था और नगर निरीक्षक द्वारा मृतक का कथन देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-22) के रूप में दर्ज/उल्लेखित किया एवं स्वयं मृतक ने यह कथन नहीं किया कि जब उसकी पत्नी और मामी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें दयानंद और देवानंद ने रोका। उसने केवल यह कहा कि जब अभियुक्त दासो ने हमला किया, तब ये दोनों अपीलार्थी भी वहाँ मौजूद थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अ.सा.-02 और अ.सा.-04 के धारा 161 के अधीन किये गए कथनों में वे कुछ भिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वे मृतक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब अभियुक्त दासो ने चाकू दिखाकर उन्हें धमकाया था कि ऐसा न करें। इस प्रकार, अ.सा.-02, पुष्पा शर्मा और अ.सा.-04, मीना शर्मा के साक्ष्यों से तथा स्वयं मृतक द्वारा पुलिस को दी गई

पहली सूचना देहाती नालिशी के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इस मामले में केवल अपीलार्थियों की घटना स्थल पर उपस्थिति/मौजूदगी स्थापित होती है, उससे अधिक कुछ नहीं। क्या केवल घटना स्थल पर उपस्थित होने के आधार पर उन्हें दंडित किया जा सकता है? ऊपर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में इसका उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कृत्य में भागीदारी के तत्व का अभाव होगा क्योंकि उनके द्वारा कोई स्पष्ट कृत्य करना नहीं पाया गया है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों पुष्पा शर्मा (अ.सा.-02) और मीना शर्मा (अ.सा.-04) द्वारा मृतक पर प्रहार के लिए उकसावे तथा उन्हें बचाने से रोकने की जो कहानी बताई गई है, वह सभी संदेह से परे सिद्ध नहीं होती, क्योंकि यह साक्ष्य में स्पष्ट अतिशयोक्ति है।

23. पक्षकार- राज्य, के विद्वान् अधिवक्ता एवं आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षियों के कथनों में यह बात आई है कि सभी अभियुक्त अपराध करने के पश्चात घटना स्थल से भाग गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सभी एक साथ आए थे और एक साथ गए थे, अतः उनकी सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु यह तर्क अ.सा.-11 गोपाल प्रसाद साहू के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपराध के पश्चात अभियुक्त दासो "हीरो पुक" मोटरसाइकिल से घटनास्थल से भाग गया। इसके अतिरिक्त, अ.सा.-02 ने केवल इतना कथन किया है कि अपराध के पश्चात तीनों अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए, परंतु उन्होंने कभी यह कथन नहीं किया है कि वे सभी एक साथ भागे थे, जिससे उनकी सामान्य आशय का कोई तत्व प्रमाणित हो सके या यह दिखाया जा सके कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत वे एक साथ भागे। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब घनी बस्ती/ क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटती है, तो उस क्षेत्र के लोग, विशेषकर हमलावर के जान-पहचान के लोग, घटना के दुष्परिणामों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ इस आधार पर कि अभियुक्तगण भी घटना स्थल से भाग गए, उन्हें अपराध कारित कर भागने से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। अतः उपर्युक्त चर्चा के आलोक में हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थीगण दयानंद और देवानंद की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, और इसलिए उन्हें दी गई दोषसिद्धि निरस्त की जानी चाहिए।

24. परिणामस्वरूप, देवानंद दुबे द्वारा दायर की गई दाण्डिक अपील क्रमांक 1840/2000 स्वीकार की जाती है। उन्हें दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त की जाती है। अभियुक्त देवानंद दुबे अभियोगों से विमुक्त किए जाते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि वे जमानत पर हैं, अतः उनकी जमानत बंध पत्र को निरस्त किया जाता है। अभियुक्त अपीलकर्ता दयानंद की अपील भी सफल होती है तथा उसकी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश भी निरस्त की जाती है। उन्हें भी अभियोगों से विमुक्त किया जाता है और उसकी जमानत बंध पत्र को निरस्त किया जाता है। हालांकि, दासो उर्फ़ प्रमेश दुबे की अपील निरस्त की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश यथावत रखी जाती है। दाण्डिक अपील क्रमांक 1840/2000 पूर्णतः स्वीकृत की जाती है और दाण्डिक अपील क्रमांक 1679/2000 आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar